रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941
No. 577]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. 702(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 और धारा 125 की उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) नियम, 2017 की अनुसूची में,

(i) क्रम संख्या 2 के सामने आईईपीएफ प्राधिकरण के सहायक महाप्रबंधक के पद से संबंधित स्तंभ 10 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:-

"प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक अवधि सहित"

(ii) "आईईपीएफ के सहायक महाप्रबंधक के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने स्तंभ 11 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्,

"प्रतिनियुक्ति अल्प कालिक अवधि सहित"

केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों और पब्लिक सेक्टर के उपक्रमों तथा अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हो; या

(ii) जो वेतन मैट्रिक्स के स्तर 8 - 47600-151100 या समतुल्य में नियमित 2 वर्ष की सेवा की हो।

वांछनीय: प्रशासन या स्थापना में नियमित अनुभव रखते हो।"

[फा. सं. 05/19/2014-आईईपीएफ]

मनोज पाण्डेय, संयुक्त सचिव

टिप्पण: विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक की भर्ती, वेतन और सेवा की अन्य शर्तें और निबंधन) संशोधन नियम, 2017 भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 18 जनवरी 2017 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 46(अ) द्वारा प्रकाशित किये गए थे, तत्पश्चात् दिनांक 5 दिसम्बर, 2018 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1175(अ) द्वारा संशोधित किये गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

G.S.R . 702(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 125 and section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Amendment Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017,

   (i) against serial number (2) relating to the post of Assistant General Manager IEPF Authority, in column 10 for the entry, the following entries shall be substituted, namely :-

   "Deputation including short-term contract."

   (ii) "against serial number (2) relating to the post of Assistant General Manager IEPF Authority, in Column 11 for the entries, the following entries shall be substituted namely;

   "Deputation including short-term contract.

   Officers under the Central Government, State Governments, Union Territories and recognized research institutes and Public Sector Undertakings and Semi Government or Statutory or Autonomous Organisations.

   (i) holding analogous post on regular basis; or

   (ii) with two years regular service in Level 8 in the pay matrix of Rs. 47600 – 151100 or equivalent.

   Desirable: Having regular experience in the Administration or Establishment."

[F. No. 05/19/2014-IEPF]

MANOJ PANDEY, Jt. Secy.

Note: The Investor Education and Protection Fund Authority (Recruitment, Salary and other Terms and Conditions of Service of General Manager and Assistant General Manager) Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 46(E), dated the 18th January, 2017 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 1175(E), dated the 5th December, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.04 15:28:50 +05'30'